



न्यायालय

पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल, मध्यप्रदेश

(नया पुलिस कंट्रोल रूम, चतुर्थ तल, जहांगीराबाद- भोपाल- 462008)

क्र.-पु.आयु./पु.उपा./आसू.सुरक्षा/भोपाल/ आ० ३१ /२५

दिनांक- ०६ /०९/२०२५

//आदेश//

(अंतर्गत धारा- 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर, त्यौहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किये जाने वाले धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/जूलुस/रैली/आमसभा/पुतला दहन/पद यात्रा/रथ यात्रा/कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव/ज्ञापन आदि कार्यक्रम किये जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सावर्जनिक स्थानों पर किये जाते हैं, जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है ताकि आम नागरिकों के सामान्य जन-जीवन पर कोई असर न हो व किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति न पहुंचायी जा सके एतदर्थ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

अतः मैं हरिनारायणाचारी मिश्र, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा – 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ:-

1. समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे- धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/जूलुस/रैली/आमसभा/पुतला दहन/पद यात्रा/रथ यात्रा/वाहन रैली/ज्ञापन/कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, बिना अनुमति प्राप्त किये आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी, साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति/क्षतियां (Damages) की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।
2. भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दुसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा और न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो।
3. अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना/करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
4. भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो।
5. सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/जूलुस/रैली/आमसभा/पुतला दहन/पद यात्रा/रथ यात्रा/वाहन रैली/ज्ञापन/कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख-रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस भी प्रतिबंधित होगा।



6. किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपित्तजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जनसामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा।
 7. यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय/भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचायी जाती है तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।
- यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन-साधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है।

अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक ०६ /०९/२०२५ को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

(हरिनारायणाचारी मिश्र)
पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, गृह विभाग मंत्रालय।
2. कलेक्टर, जिला भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल।
5. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/ मुख्यालय एवं अपराध नगरीय पुलिस भोपाल।
6. आयुक्त, नगर निगम भोपाल।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल।
8. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
9. उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल।
10. समस्त थाना प्रभारी नगरीय पुलिस भोपाल।
11. प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष जहांगीराबाद भोपाल।

पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल

